HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 822/2025

1. गुड्डी देवी पत्नी स्व. श्री रामस्वरूप हरिजन, उम्र 49 वर्ष,
2. रानी निनाणिया उर्फ सपना निनाणिया पुत्री स्व. रामस्वरूप, उम्र 28 वर्ष,
3. सुप्रिया उर्फ स्वाति निनाणिया पुत्री स्व. रामस्वरूप, उम्र 21 वर्ष
4. रजत निनाणिया पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप, उम्र 19 वर्ष
5. छोटूलाल पुत्र स्व. श्री सुवालाल, उम्र 65 वर्ष
निवासीगण– हरिजन मोहल्ला, वनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज.)

----प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री जगदीश गुर्जर, निवासी– फूसवाडिया की ढाणी, वनस्थली, पुलिस थाना निवाई, जिला टोंक (राज.)
(वाहन चालक, स्वामी व बीमाधारक जीप नं. RJ-05-C-1579)
2. युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये मण्डलीय प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यालय सहारा चैम्बर, टोंक रोड, जयपुर।
(वाहन बीमा कम्पनी जीप नं. RJ-05-C-1579)
3. गोगाराम उर्फ गोपाल पुत्र श्री बाबूलाल हरिजन, निवासी– वॉर्ड नं. 11, हरिजन बस्ती, तहसील चाकसू, जिला जयपुर (राज.)
(वाहन चालक, स्वामी व बीमाधारक मोटरसाईकिल नं. RJ-14-LH-6366)
4. दी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये मण्डलीय प्रबंधक, कार्यालय– सैकिण्ड फ्लोर, नेहरू पैलेस, टोंक रोड, जयपुर।
(वाहन बीमा कम्पनी, मोटरसाईकिल नं. RJ-14-LH-6366)

----अप्रार्थीगण

5. धूली देवी पत्नी श्री छोटूलाल, उम्र 64 वर्ष, निवासी– हरिजन मोहल्ला, वनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक (राज.)

----प्रोफार्मा अप्रार्थी

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amar Nath Pareek, Adv. Mr. Rajeev Bhushan Bansal, Adv. with Ms. Ritu Bansal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01, जयपुर महानगर द्वितीय** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–433/2019, गुड्डी देवी व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 23.10.2024** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **राहुल** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 38,50,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **8,67,648/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,540/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग के स्थान पर 1/2 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है व कंसोर्टियम की मद में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत

अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 01.07.2018 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को सफाईकर्मी का कार्य कर प्रतिमाह 15,000/– रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,540/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में हम घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मृतक की दैनिक आय 213/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 213 x 30 = 6,390/– रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। वक्त घटना मृतक को 20 वर्ष आयु का होना बताया गया है। चूंकि मृतक 20 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में हम, **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 6,390/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 2,556/– रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक

की कुल मासिक आय 8,946/– रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गई है। किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** में यह प्रतिपादित किया है कि जहां क्लेमेंट्स विधवा माता हो तथा मृतक के छोटे भाई–बहिन जो कि किसी प्रकार की आय अर्जित न करते हों व पूर्णतया मृतक पर ही आश्रित हों उन्हें मृतक पर आश्रित मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किये जाने का प्रावधान है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा (उपरोक्त)** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**15.** .....Thus, even if the deceased is survived by parents and siblings, only the mother would be considered to be a dependant, and 50% would be treated as the personal and living expenses of the bachelor and 50% as the contribution to the family. However, where the family of the bachelor is large and dependent on the income of the deceased, as in a case where he has a widowed mother and large number of younger non-earning sisters or brothers, his personal and living expenses may be restricted to one-third and contribution to the family will be taken as two-third."

8. हस्तगत मामले में अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की विधवा माता, अपीलार्थी संख्या–2 मृतक की व्यस्क बहन तथा अपीलार्थी संख्या–3 व 4 मृतक के नाबालिग भाई–बहिन है। ऐसी स्थिति में हम वक्त घटना मृतक पर उसकी विधवा माता को तथा मृतक के नाबालिग भाई–बहिन को मृतक पर आश्रित होना मानते हुए उसके व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना न्यायोचित समझते हैं। 8,946/– रुपये का 1/3 भाग 2,982/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत

आश्रित आय की शेष राशि 5,964/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित आय 5,964/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 5,964 x 12 x 18 = 12,88,224/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

10. ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की माता अपीलार्थी संख्या–1 तथा मृतक के भाई–बहिन अपीलार्थी संख्या–2 लगायत 4 प्रत्येक को ''फिलियल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 1,60,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। अपीलार्थी संख्या–5 व प्रोफोर्मा रेस्पोंडेंट संख्या–5, मृतक के दादा–दादी है। दादा–दादी को कंसोर्टियम की मद में राशि दिलवाये जाने की कोई विधि वर्तमान में लागू नहीं है।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के

अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	12,88,224/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,60,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**14,78,224/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		8,67,648/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**6,10,576/–**

13. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **8,67,648/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **14,78,224/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

15. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /79-S